न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

प्रकरण क्रमांक I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/1942

जितेन्द्र कुमार तनय बाबूलाल जैन निवासी
मोहनगढ तह•मोहनगढ जिला टीकमगढ म•प्र•
••पुनरीक्षणकर्ता

श्री क्रमांक पी॰ भटनागर
द्वारा आज दि॰ 21-3-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 3-4-18 नियत।
21-3-18
राजस्व मण्डल, म.प्र.

बनाम

श्रीमति हेमलता उर्फ हेम पुत्री दयाचन्द पत्नि
श्री जिनेश जैन निवासी म•न•130 मुहल्ला
छत्रसालपुरा ललितपुर जिला ललितपुर उ•प्र•
••प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षणप्रस्तुत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ के प्र0क्र0 236/अपील /16-17मे पारित आदेश दिनांक 12/3/2018 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की विनय सादर प्रस्तुतहै:

Filed by
MP Bhatnagar Adv

1• यहकि तहसीलदार टीकमगढ अंतर्गत मौजा गनेशगंज भाटा ख•न• 69/315 रकवा 1•574 हे• भूमि पुनरीक्षणकर्ता के चाचा दयाचंद जैन के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर धारितथी दयाचंद जैन के दामपत्य जीवन से एक पुत्री जिसका नाम बेबी है पैदा हुई थी जिसका विवाह संस्कार होकर अपनी ससुराल मे रह रही है।

2• यह कि दयाचंद जैन की पत्नि का निधन होने के पश्चात उनकी देखरेख सेवा खुसामद पुनरीक्षणकर्ता करता चला आया है।और दयाचंद ने प्रशन्न होकर अपने जीवन काल मे दिनांक 31/12/2001 को नोटरी एडवोकेट के समक्ष वसियत लिखी थी और दो गवाहो ने उसे प्रमाणित किया था।

3• यहकि दिनांक 28/2/2002 को दयाचंद जैन की देहावसान हो गया जिसकी अंतिम संस्कार क्रिया कर्म पुनरीक्षणकरता ने किया है और विधिवत तहसीलदार टीकमगढ के यहा आवेदन देकर प्रकरण 103/अ-6/2003-04दिनांक 6/10/2005 को अपना नामांतरण स्वीकृत कराया उक्त नामांतरण धारा 109एवं110म•प्र•भू•रा•सं•1959 का आधार था उक्त नामांतरण मे तहसील

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/1942

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/04/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.पी. भटनागर उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखन से स्पष्ट होता है कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलंब से अपील पेश की गई साथ ही धारा-5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि चूंकि अनावेदिका मृतक खातेदार की वैधवारिस पुत्री है, अत: विलंब सद्भावी होने से न्यायहित में धारा-5 का आवेदन स्वीकार किया जाता है। विलंब क्षमा करना न्यायालय का विवेकाधिकार है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर अभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	